65

PBR/पुनर्विलोकन/शाजापुर/भू-रा/2017/1802

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / /2017 रिव्यू

1– मक़बूल एहमद पुत्र श्री गुलाब एहमद

2– मकसूद एहमद पुत्र श्री गुलाब एहमद

निवासीगण ग्राम जादमी, शाजापुर (म0प्र0)

... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि 19.6.17 को प्रस्तुत
19.6.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ... आनावेदक

<u>रिव्यू आवेदन पत्र अर्तगत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1349/एक/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.05.17 के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत।</u>

C. Dhawan
06.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/शाजापुर/भू.रा/17/1802

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—1—18	उभयपक्ष की ओर से रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1349—एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 11—5—2017 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	